

I/549193/2024

740

संख्या:-748/एक-10-2023-33(36)/2018 टी०सी०-2

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26/04/2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गाजीपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी नावों के किराये के लम्बित भुगतान हेतु धनावंतन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1637/13-आपदा/2023, दिनांक 17.04.2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2019-20 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गाजीपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी नावों के किराये के लम्बित भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 3,78,600/- (रुपये तीन लाख अठहत्तर हजार छः सौ मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी, गाजीपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

- (1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या- 437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में बाढ़ के दौरान वास्तव में नावों का उपयोग किया गया है तथा नावों के किराये का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नावों के किराये का भुगतान भारत सरकार की गाइडलाइन 08-04-2015 के अनुसार है।
- (3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के पूर्व शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

//549193/2024

प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दा में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये **3,78,600/-** (रुपये तीन लाख अठहत्तर हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0602 वाद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद- 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally Signed by **भवदीय,**
केवल
Date: 26-04-2024 16:52:45 (केवल)
Reason: Approved विशेष सचिव।

संख्या-748(1)/एक-10-2023-33(36)/2018 टी०सी०-2, तदिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र०, प्रयागराज
- 2 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र०, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी वजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी 30प्र०
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गाई फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-02/05/2024

प्रेषण संख्या:- 740
आवंटन आदेश संख्या:- 001-740
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	378600 378600	378600 378600
	योग	वर्तमान प्रगामी	378600 378600	378600 378600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख अठहत्तर हजार छः सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन लाख अठहत्तर हजार छः सौ


(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन